

242-2018/3.571.17.12.15  
27/12/15

BY SPEED POST

F.No. A-12018/6/2012-Ad.IIB  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Excise & Customs  
\*\*\*\*\*

2634

New Delhi, the 21<sup>st</sup> December, 2015

J.D. To  
The Director General (HRD)  
C-4, West Wing, Ground Floor  
IRCON Building, District Centre Saket  
New Delhi - 110017

**Subject: Amendment to the Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Official Language) in attached and subordinate offices under Central Board of Excise & Customs in Department of Revenue – regarding.**


Sir

I am directed to refer to your letter F.No. 8/B/122/HRD(HRM)/2011/1069 dated 16.05.2012 forwarding therewith draft Recruitment Rules of Assistant Director (Official Language) and to say that the Recruitment Rules, 2015 for the post of Assistant Director (Official Language) in attached and subordinate offices under Central Board of Excise & Customs in Department of Revenue have been notified in the Gazette of India vide GSR No. 103 dated 04.06.2015. A corrigendum (pertaining to RRs of AD(OL)) has also been published in the Gazette of India vide GSR No. 839 (E) dated 02.11.2015.

2. A copy each of the said Recruitment Rules, 2015 and the said corrigendum is enclosed herewith for information and further necessary action.

Encl. – as above.

Yours faithfully




(B. K. Manthan)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. No. 23095584

Copy to: Directorate General of Systems & Data Management, 4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> Floor, Samrat Hotel, Chanakyapuri, New Delhi – 110021 along with a copy of notified RRs of Assistant Director (Official Language) <sup>and Corrigendum</sup> with a request to upload the same in the official website of CBEC.



(B. K. Manthan)

Under Secretary to the Govt. of India



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

No. 687]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 839(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 से संबंधित सा. का. नि. 103 दिनांक 4 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 3 पर, विन्दु संख्या 11 में : "वरिष्ठ अनुवाद" के स्थान पर "वरिष्ठ अनुवादक" और "ग्रेड पे 4200 रु." के स्थान पर "ग्रेड पे 4600 रु." पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए-12018/6/2012-प्रशा. II ख]

सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 769—778

Dated : 6-6-2015

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सा.का.नि. 103.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियमावली, 1999 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, ऐसे अधि क्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) सहायक निदेशक (राजभाषा) (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-बैंड और ग्रेड-पे या इससे संबद्ध वेतनमान वही होंगे जो इन नियमावली में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले, जो कि उक्त पद से संबंधित होंगे, वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए होंगे।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात को लेकर संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय पद्धति के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए मुहैया करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	68* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे-बैंड-3, 15,600-39,100 रु., ग्रेड-पे 5400 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विनिर्दिष्ट आयु एवं अन्य शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति के उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होंगी

परिवीक्षा, यदि कोई हो, की अवधि

(7)	(8)	(9)
<p>अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से हिन्दी में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम के रूप में लिया हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम के रूप में लिया हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम के रूप में लिया हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो।</p> <p>(ii) केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में, हिन्दी में शब्दावली के प्रयोग या लागू</p>	<p>आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं</p>	<p>सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए एक वर्ष</p>

(7)

करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमतः अनुवाद कार्य में, विशेषकर तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में तीन वर्ष का अनुभव

या

केन्द्र या राज्य सरकारों या स्वायत्तशासी निकाय या सार्वधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव

**नोट 1 :** अभ्यर्थी के अन्यथा अच्छी तरह योग्य होने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग इन अर्हताओं में अपने विवेकाधिकार से छूट दे सकता है।

**नोट 2 :** अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, यदि चयन के किसी स्तर पर उसकी यह राय बनती है कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी, इस समुदाय में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है।

**वांछनीय :**

संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक अध्ययन किया हो।

**भर्ती की पद्धति :** जैसे की सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले में वह ग्रेड जहां से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जा सकता है

(10)

(11)

60 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा जिसके असफल हो जाने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी सम्मिलित है, 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा भी सम्मिलित है जिसके असफल हो जाने पर सीधी भर्ती के द्वारा

**प्रोन्नति :**

वरिष्ठ अनुवाद जो पे-बैंड-2, (9300-34800 रु.) के, ग्रेड पे 4200 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

**नोट 1 :** जहां कि ऐसे कनिष्ठ, जिसने कि अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, कि प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षा पात्रता/अर्हता सेवा अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से भी कम हो, से कम न हो उन्होंने अगले

उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परीवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी पात्रता/अर्हता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1-1-2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गई नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान या विस्तारित वेतनमान में की गई है।

**प्रतिनियुक्ति :** ( जिसमें लघु अवधि संधिदा सम्मिलित है ) : केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सवैधानिक संगठन के तहत अधिकारी :

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-बैंड-2, 9300-34800 रु., ग्रेड-पे 4800 रु. ग्रेड अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे-बैंड-2, 9300-34800 रु., ग्रेड-पे 4600 रु. ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और

(ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव तथा शैक्षणिक योग्यता धारण करता हो।

नोट 1 : फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति के द्वारा किए जाने वाली नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संधिदा सहित) इस प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व केन्द्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (लघु अवधि संधिदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

नोट 1 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के उद्देश्य के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006, अर्थात् वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पूर्व की गई नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि यह सेवा समनुरूपी ग्रेड के लिए या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में की गई है, उस स्थिति को छोड़कर जिसमें कि पूर्व संशोधित वेतनमान के एक से अधिक वेतनमानों को समान ग्रेड-पे या वेतनमान को एक ग्रेड में आमेलित कर दिया गया है और जहां कि यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए दिया गया है, जहां कि उस ग्रेड-पे या वेतनमान को बिना किसी उन्नयन के सामान्य रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है

(12)

परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :-

1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड —सदस्य
3. सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित) —सदस्य

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

समूह "क" विभागीय स्थाईकरण समिति (स्थाईकरण पर विचार करने के लिए) :-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड —अध्यक्ष
2. सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित) —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड —सदस्य

## NOTIFICATION

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th June, 2015

**G.S.R. 103.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in attached and subordinate offices under the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Assistant Director (Official Language) (Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of said post, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	68* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Pay Band-3, (Rs. 15,600–39,100) plus grade pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years



(7)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p><b>Essential :</b> Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level. (ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature under Central or State Government or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.</p>	Age : No Educational Qualifications : No	One year for Direct Recruits and Promotees.
<b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		

2540 Fin/15-31

(7)

**Note 2 :** qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Desirable :**

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at Tenth level from a recognised Board.

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(10)

60% by promotion failing which by deputation including short-term contract;  
40% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

**Promotion :**

Senior Translator in Pay Band-2 (Rs. 9300-34,800) with grade pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognized Research

(9)

(11)

Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations :

(A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department ; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

**Note 2 :** For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion):</b>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.
1. Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman	
2. Chairman, Central Board of Excise and Customs —Member	
3. Member, Central Board of Excise and Customs (to be nominated by Chairman, Central Board of Excise and Customs) —Member	
<b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :</b>	
1. Chairman, Central Board of Excise and Customs —Chairman	
2. Member, Central Board of Excise and Customs (to be nominated by Chairman, Central Board of Excise and Customs) —Member	
3. Joint Secretary (Administration), Central Board of Excise and Customs —Member	

[F. No. A-12018/6/2012-Ad. IIB]  
A. K. QASIM, Under Secy.